प्रेषक,

अति महत्वपूर्ण/शीर्ष वरीयता

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. प्राचार्य
सी0टी0ई0 वाराणसी।

2. समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।

3. समस्त प्रबंधक/सचिव/प्राचार्य
निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान
उ0प्र0।

पत्रांक : गोप0/डी0एल0एड0 2021/ 3123-3222 /2021-22 दिनांक :27 सितम्बर, 2021

विषय : डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के पश्चात् आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जॉच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।

15. प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभिलेखों की जॉच के साथ-साथ प्रवेश की कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी। प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु अभिलेखों की जॉच की तिथि से प्रवेश की अंतिम **तिथि 04 अक्टूबर. 2021 सायं 05:00 बजे तक** का अवसर दिया जायेगा। निजी संस्थानों हेतु शासनादेश सं0 1441/15-11-2014 दिनांक 10.09.2014 के विन्दु सं0 10 द्वारा **प्रतिवर्ष रू0 41000 (इकतालिस हजार मात्र)** तथा प्रदेश के डायट हेतु शासनादेश दिनांक 05.06.2017 द्वारा **रू0 10,200 (दस हजार दो सौ रूपये मात्र)** प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित है।

16. अभ्यर्थियों द्वारा उनके प्रशिक्षण शुल्क के भाग से रू0 10,000 (दस हजार मात्र) की धनराशि संस्था आवंटन के पूर्व ही जमा करायी गयी है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये रू0 10,000 (दस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए शेष धनराशि प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा करायी जायेगी। यानि कि निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से **रू0 31000 (इकत्तीस हजार रू0 मात्र) एवं प्रदेश के डायट द्वारा रू0 200 (दो सौ रू0 मात्र)** अभ्यर्थियों से **प्रशिक्षण शुल्क** जमा कराये जायेंगे।